# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.**

---

**प्र.सं. 39/2023**
**जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/324**

1. लालचन्द पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी 12टीके/32एनपी तहसील रायसिंहनगर

**–निगरानीकर्ता**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत 11 टीके जरिए सरपंच ग्राम पंचायत 11 टीके प.सं. रायसिंहनगर
2. झाबरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 12टीके/32एनपी तहसील रायसिंहनगर.....(मृतक)

2/1. कृष्णा देवी पत्नी
2/2. धीरज पुत्र
2/3. विनोद पुत्र

झाबरराम जाति जाट निवासीगण
12टीके/32एनपी तहसील रायसिंहनगर

**–गैर निगरानीकर्तागण/अप्रार्थीगण**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

**उपस्थिति :–**

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/3

**एवंम**

**प्र.सं. 38/2023**
**जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/323**

1. लालचन्द पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी 12टीके/32एनपी तहसील रायसिंहनगर

**–निगरानीकर्ता**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत 11 टीके जरिए सरपंच ग्राम पंचायत 11 टीके प.सं. रायसिंहनगर
2. कृष्णा देवी पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी 12टीके/32एनपी तहसील रायसिंहनगर

**–गैर निगरानीकर्तागण/अप्रार्थीगण**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

**उपस्थिति :–**

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 2

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक : 30.09.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

दोनों प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुए है। दोनों प्रकरणों की अनुतोष की प्रकृति एक समान होने एवं प्रकरण एक दूसरे से सम्बद्ध होने के कारण दोनों निगरानियों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय से किया जा रहा हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त दोनों निगरानी प्रकरण विरूद्ध अप्राथीगण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत 11 टीके के संकल्प सं. 9 दिनांक 14.12.2008 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकर्ता झाबरराम के पक्ष में आबादी 12 टीके/32एनपी के अहाता सं. 104 तादादी 6460 वर्गफुट तथा गैरनिगरानीकर्ता कृष्णा देवी के पक्ष में आबादी 12 टीके/32एनपी के अहाता सं. 105 तादादी 8970 वर्गफुट के जारी पटटों को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता

जिला कलक्टर अनूपगढ़

उपस्थित आए। अन्य गैरनिगरानीकर्तागण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। ग्राम पंचायत से निगरानीधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया।

2. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगरानीकर्ता अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता के कब्जा में आबादी चक 12टीके/32एनपी के आहाता सं. 103 तादादी उतरी–दक्षिणी दीवार 90 फुट, पूर्वी 47 फुट व पश्चिमी दीवार 40 फुट है चला आ रहा है जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास करता हैं अहाता के दक्षिण दिशा में अहाता सं. 104 व अहाता सं. 104 के पूर्वी दिशा में अहाता सं. 105 है। अहाता सं. 103 व 104 के मध्य की दीवार समान लम्बाई की है 98 फुट लम्बी हैं। अहाता सं. 105 व निगरानीकर्ता के अहाता सं. 103 के मध्य कोई दीवार नहीं लगती। लेकिन गैर निगरानीकर्ता झाबरराम ने आबादी के नक्शे में रही त्रुटियों का बेजा नाजायज लाभ उठाने के आश्य से अपने वास्तविक कब्जा 98 गुणा 58 की बजाये निगरानीकर्ता के पूर्वी दीवार की लम्बाई 47 फुट में से 20 फुट जगह उतरी दीवार की लम्बाई 95 फुट तक तिरछी जगह 776 वर्गफुट को शामिल करते हुए अपनी पत्नी के अहाता सं. 105 की चारों दीवारें समान करने व सार्वजनिक रास्ता और निगरानीकर्ता की जगह हड़पने के आश्य से अहाता सं. 104 की उतरी दक्षिणी दीवार 95 फुट व पूर्वी दीवार 78 फुट दर्शाते हुए कुल 6440 वर्गफुट जगह का पटटा जारी करवाने करने पर ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प सं. 9 दिनांक 14.12.2007 को निगरानीकर्ता व अन्य किसी को सुने बिना पटटा दिनांक 22.12.2008 को जारी करवा लिया। इसी प्रकार निगरानीकर्ता के अहाता के पूर्वी पासा में से 3 गुणा 20 वर्गफुट की जगह को शामिल करते हुए अहाता सं. 105 का 58 गुणा 112 वर्गफुट की जगह 8970 वर्गफुट का पट्टा जारी कर दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पट्टे नियम 167 के तहत विक्रय आधार पर जारी किये गये है। निगरानीधीन भूमि पर निगरानीकर्ता के 70–80 सालों से कब्जा में में चली आ रही हैं, आबादी की जगह का विक्रय व आवंटन वर्जित हैं। सार्वजनिक रास्ता का विधि विरूद्ध तरीके से जारी निगरानीधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। निगरानीयां प्रस्तुत करने के संबंध में समयावधि निर्धारित नहीं हैं किसी भी समय निगरानी प्रस्तुत की जा सकती हैं, परन्तु फिर भी निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर निगरानीयां प्रस्तुत करने में देरी नहीं की हैं। आदेश का ज्ञान होने के शीघ्र अति शीघ्र यह निगरानीयां पेश की गयी हैं। धारा 5 मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं। निगरानीयां अन्दर मियाद ग्रहण कर स्वीकार करते हुए निगरानीधीन आदेशों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

3. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टे जारी किये हैं। निगरानीकर्ता को निगरानीयां प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। 8 वर्ष के विलम्ब के पश्चात निगरानियां प्रस्तुत की गयी हैं विलम्ब के संबंध में कोई उचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया हैं। इसलिए निगरानियां खारिज योग्य होने से अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता के द्वारा स्वयं का आबादी चक 12टीके/32एनपी में अहाता सं. 103 होने का कथन किया गया हैं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत खसरा रजिस्टर अनुसार अहाता सं. 103 की प्रविष्ठी रिक्त हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा भी उनके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी को पट्टा विलेख अथवा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे अहाता सं. 103 निगरानीकर्ता का होना प्रमाणित होता हो। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की उपधारा 1 में "राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर" शब्दों का प्रयोग किया गया है अर्थात किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही निगरानी पेश की जा सकती हैं। निगरानीकर्ता निगरानीधीन आदेशों से किस प्रकार प्रभावित एवं हितबद्ध है, यह सिद्ध करने में निगरानीकर्ता असफल रहे हैं।

5. निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 9 दिनांक 14.12.2007 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकर्तागण झाबरराम व कृष्णा देवी के नाम से क्रमशः आहाता सं. 104 व 105 के पट्टे जारी किये गये हैं के विरूद्ध दिनांक 08.09.2016 को हस्तगत निगरानियां प्रस्तुत की हैं। मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटीशन नं. 5906/2019 किशनाराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अवलोकनीय हैं जिसमें मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार "Though it is true that the concept of delay does not apply in strict sense to the revisional jurisdiction conferred upon the District Collectr by virtue of Section 97 of the Panchayati Raj Act, but while entertaining a revision filed after significant delay, the court has to remain mindful of the reasons behind the delay. If there is no justification whatsoever for the dela, then the revision should normally should not be entertained. Furthermore, Hon'ble Full Bench of this court in the case of Tara (supra) considered the very issue of delay and held that a period of three years should normally be sufficient to be treated to be the outer limit for entertaining a challenge to a patta or any such allotment." इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि को मियाद अवधि हेतु उचित माना हैं। प्रकरण में निगरानीयां मियाद अवधि निकलने के पश्चात पेश की गयी हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानियों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीयां प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया हैं, ना प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत खसरा/इंतकाल रजिस्टर, रोकड़ बही, रसीद बुक, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर, पट्टा बुक एवं नक्शा का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेकर पट्टे जारी किये गये हैं। राशि भी पट्टाधारियों से जमा करवाई गयी हैं। नक्शा एवं पट्टा बुक का मिलान करने पर प्रथम दृष्टया जारी पट्टों के माप सही होना पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में निगरानियां स्वीकार योग्य नहीं हैं।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीयां निगरानीकर्ता प्र.सं. 38/23 एवं प्र.सं. 39/23 इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)